मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0— 032 /2023 दिनांकः 20/5/23

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

अनु सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—8
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषयः— मेरठ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत खसरा सख्या—807 अब्दुल्लापुर एवं राली चौहान (कोरल स्प्रिंग कालोनी के सामने) पर अवैध निर्माण किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र सख्या—641/आठ—8—2023—05विविध/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री रमन यादव अधिवक्ता, आर0टी0आई0 एंव शोशल एक्टीविस्ट का पत्र दिनांक क्रमशः 14.03.2023, 03.04.2023 एवं 19.05.2023 की प्रति संलग्न करते हुये उल्लेख किया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत खसरा सख्या—807, अब्दुल्लापुर एवं राली चौहान (कोरल स्प्रिंग कालोनी के सामने) निकट अब्दुल्लापुर, आकाशवाणी केन्द्र, किला परिक्षितगढ रोड, मेरठ में खसरा सख्या—807 एवं आस पास की अन्य भूमि पर स्थित अनाम कालोनी पर सरकारी/निजी भूमि पर कब्जा कर अवैध अवैध बालू खनन कर अवैध कालोनी के निर्माण की शिकायत के सम्बन्ध में जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में पत्र में उल्लेखित खसरा सख्या—807, अब्दुल्लापुर एवं राली चौहान (कोरल स्प्रिंग कालोनी के सामने) निकट अब्दुल्लापुर, आकाशवाणी केन्द्र, किला परिक्षितगढ रोड, मेरठ में ख्सरा सख्या—807 एवं आस पास की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है—

1— श्री सतीश कुमार व श्री जलाल हुसैन द्वारा खसरा सख्या—807, कौरल स्प्रिंग के सामने अब्दुल्लापुर किला परिक्षितगढ रोड मेरठ पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग—4500.00 वर्ग गज में अवैध रूप से प्लाटिंग एंव सडक निर्माण हेतु मिटटी भराव का कार्य किया जा रहा था जिसे रूकवाते हुये उसके विरूद्व दिनांक 22.12.2022 को उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम—1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी जिसमें विकासकर्ता को दिनांक 26.12.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये दिनांक 02.01.2023 व दिनांक 11.01.2023 को सुनवाई हेतु समय प्रदान किया गया। विकासकर्ता द्वारा खसरा सख्या—807, कोरल स्प्रिंग के सामने की भूमि को शमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ तलपट मानचित्र उपलब्ध कराये गये। जिसके क्रम में स्थल का भू—उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी हेतु पत्रावली नियोजन अनुभाग की आख्या प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित की गयी। नियोजन अनुभाग की आख्या के अनुसार स्थल औघोगिक भू—उपयोग के अन्तर्गत होने की आख्या प्राप्त हुई जिसमें दिनांक 13.02.2023 को औघोगिक भू—उपयोग के अन्तर्गत तलपट मानचित्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया परन्तु विकासकर्ता द्वारा भू—उपयोग के अनुसार तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके क्रम में अवैध कालोनी के विरूद्व दिनांक 19.05.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है।

2— श्री सतीश मावी पुत्र श्री सौरन सिंह द्वारा खसरा सख्या–04, के ग्राम राली चौहान किला परिक्षितगढ मेरठ पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग–5670.00 वर्ग गज क्षेत्रफल की भूमि की चारदीवारी एवं गेट तथा सडक निर्माण हेतु मिटटी भराई का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके विरूद्व उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 13.08.2021 को चालानी कार्यवाही की गयी। निर्माणकर्ता/विकासकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नोटिस जारी किये गये परन्तु विकासकर्ता द्वारा स्थल से सम्बन्धित तलपट मानचित्र उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके क्रम में अवैध कालोनी के विरूद्व दिनांक 21.04.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिनांक 09.05.2022 को अवैध रूप से बनायी गयी बाउन्ड्रीवाल व आफिस के निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रकरण में दिनांक 16.08.2021 तथा दिनांक 20.06.2022 को ए0आई0जी0 स्टाम्प मेरठ को स्थल की रजिस्ट्री न किये जाने तथा विघुत विभाग को उक्त अवैध कालोनी में बिजली के कनैक्शन न दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। विकासकर्ता द्वारा स्थल पर पुनः विकास कार्य कराये जाने का प्रयास किया गया जिसके क्रम में विकासकर्ता श्री सतीश मावी के विरूद्व दिनांक 27.09.2022 को थाना भावनपुर में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। प्रकरण में ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक 27.03.2023 की तिथि नियत की गयी जिसमें विकासकर्ता द्वारा स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी जिसके विरूद्व विकासकर्ता श्री सतीश मावी व अन्य व्यक्तियों के विरूद्व दिनांक 27.03.2023 को थाना भावनपुर में निर्धारित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराते हुये अवैध कालोनी को दिनांक 05.04.2023 को पुनः ध्वस्तीकरण करते हुये समस्त निर्माण एवं मुख्य द्वार जमीदोंज किया गया।

3— श्री धारा सिंह द्वारा खसरा सख्या–44 इन्ड्रस्ट्रीयल एरिया के सामने फार्म हाउस के पास किला परिक्षितगढ रोड मेरठ पर बिना तपलट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग–26000 वर्ग गज की भूमि की बाउन्ड्रीवाल कर बडा गेट लगाते हुये मिटटी भराई कर खण्डजा आदि लगाकर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी जिसके विरूद्व उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2022 चालानी कार्यवाही की गयी। निर्माणकर्ता/विकासकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नोटिस जारी किये गये परन्तु विकासकर्ता द्वारा स्थल से सम्बन्धित तलपट मानचित्र उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके क्रम में अवैध कालोनी के विरूद्व दिनांक 31.08.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिनांक 27.03.2023 को अवैध कालोनी में ध्वस्तीकरण हेतु तिथि नियत की गयी थी जिसमें विकासकर्ता द्वारा स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी जिसके विरूद्व विकासकर्ता श्री धारा सिह व अन्य व्यक्तियों के विरूद्व दिनांक 27.03.2023 को थाना भावनपुर में निर्धारित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराते हुये अवैध कालोनी को दिनांक 06.04.2023 को विकसित की गयी सीवर लाईन, अवैध बाउन्ड्रीवाल, दुकानों की नींव, नवनिर्मित प्लाटों की बाउन्ड्रीवाल,आरसीसी कॉलम व बिजली की अन्डरग्राउन्ड लाईन व मैन गेट को ध्वस्त किया गया।

4— श्री उम्मेद अली, एस0डी0शर्मा व बबलू उपाध्याय के द्वारा खसरा सख्या–360 व 369 कृष्णा एन्कलेव कालोनी निकट आकाशवाणी केन्द्र किला परिक्षितगढ रोड मेरठ पर लगभग–15000.00 वर्ग गज क्षेत्रफल में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर रोड व खण्डजा आदि का निर्माण करते हुये अवैध बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसके विरूद्व उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 22.11.2018 को चालानी कार्यवाही की गयी। जिसमें विकासकर्ता को सुनवाई व स्थल से सम्बन्धित तलपट

मानचित्र उपलब्ध कराये जाने हेतु समय प्रदान किया गया परन्तु विकासकर्ता द्वारा तलपट मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके क्रम में दिनांक 11.02.2019 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुये दिनांक 19.07.2019 को पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध कालोनी में अवैध रूप से बनायी गयी बाउन्ड्रीवाल व अन्य निर्माण को ध्वस्त किया गया। विकासकर्ता द्वारा चोरी छिपे पुनः विकास कार्य कराये जाने का प्रयास किया गया जिसे पुनः दिनांक 26.08.2021 को ध्वस्त किया गया। स्थल पर सार्वजनिक सूचना का बोर्ड भी लगवाया गया जिसमें उक्त भूमि पर भूखण्डों की खरीद फरोक्त न किये जाने हेतु सूचना प्रदर्शित करायी गयी। प्रकरण में दिनांक 30 08.2019 तथा दिनांक 16.08.2021 को ए0आई0जी0 स्टाम्प मेरठ को स्थल पर रजिस्ट्री न किये जाने तथा विघुत विभाग को अवैध कालोनी में कनैक्शन न दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। विकासकर्ता के विरूद्व थाना भावनपुर में दिनांक 16.09.2022 को एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

<u>प्रतिलिपिः</u>–उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।